राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 130/2011
निर्णय दिनांक :– 23.03.2021

वादीगण

1. चौथी पुत्री स्व घीसाराम पत्नी मांगीलाल जाति–मीणा आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी हाल निवासी–जोडकिया कोटडी तहसील–मारवाड जंक्शन जिला–पाली राज.
2. पोनी पुत्री स्व. घीसाराम पत्नी भानाराम जाति–मीणा आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी हाल–सारण, तहसील–मारवाड जंक्शन जिला–पाली राज0
3. छगनी पुत्री स्व घीसाराम पत्नी पुसाराम जाति–मीणा आयु–वयस्क निवासी–सांसरी हाल–धनला तहसील–मारवाड जक्शन जिला–पाली राज0
4. नाजु पुत्री घीसाराम आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी जाति–मीणा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पदाराम पुत्र स्व वागीया आयु–वयस्क
2. स्व भॅवरराम पुत्र स्व वागीया के वारिसान–
   2/1 लेरकी पत्नी स्व भॅवराराम आयु–वयस्क
   2/2 रेखा पुत्री स्व भॅवराराम आयु–वयस्क
   2/3 चन्दूडी पुत्री स्व भॅवराराम आयु–वयस्क
3. वेनाराम पुत्र स्व वागीया आयु–वयस्क
4. लुंगो पत्नी स्व वागीया आयु–वयस्क
   जातिगण–मीणा निवासीगण–सांसरी, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज.
5. तहसीलदार, देसूरी राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः–

1. श्री भरत कुमार अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह सोलकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

पेज नम्बर 2 पर लगातार

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय **दिनांक :– 23.03.2021**

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम– गुडा गोपीनाथ पटवार हल्का कोट सोलंकियान तहसील–देसूरी जिला–पाली में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म तमाम बारानी दोयम, कुल खसरा नम्बरान–4 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर लगान रूपये–15.10 विद्यमान है।

यह है कि उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी में स्व घीसीया का 1/3 हिस्सा, नदीया का 1/3 हिस्सा तथ स्व वागीया का 1/3 हिस्सा आता था। स्व घीसीया की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सकुडी उर्फ सुकडी के नाम नामान्तरकरण भरा गया तथा सकुडी ने अपने 1/3 हिस्से की भूमि वादीगण संख्या 1 से लगाय 3 को बख्शीश करने से वादीगण संख्या 1 से लगाय 3 की खातेदारी का 1/3 हिस्सा आता है तथा वागीया की मृत्यु होने के बाद उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 4 की खातेदारी का 1/3 हिस्सा आता है तथा नदीया का 1/3 हिस्सा आता है। नदीया गत 30 वर्षो से लापता है जिसका कोई अता–पता नही है तथा न ही कोई सन्तान पुत्र या पुत्री है अर्थात नदीया लाऔलाद है। नदीया स्व. रामा का पुत्र है। रामा के तीन पुत्रगण घीसाराम, नदीया, वागीया हुए । जिसमें घीसीया व वागीया की मृत्यु हो चुकी है। नदीया के पीछे एकमात्र वारिसान स्व. घीसीया के वारिसान वादीगण संख्या 1 से लगाय 4 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 4 है, उनके अलावा नदीया के कोई वारिसान नही है। नदीया गत 30 वर्षो से लापता है जिससे गत 30 वर्षो से नदीया का दुनिया में अता–पता नही होने के कारण कानूनन सिविल डेथ मानी जाती है एवम् उनकी सम्पतियॉ में उनके नजदीकी रिश्तेदारो को हक अधिकार निहित हो जाते है। जिससे विवादग्रस्त आराजी में नदीया के 1/3 हिस्से में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 4 का क्रमश 1/2–1/2 हिस्सा आता है। अर्थात वादीगण का 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी की 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 4 का 1/3 हिस्से मे स 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा आता है। तथा इसी हिस्से के अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण 1 से 4 मौके पर काबिज है व इनका कब्जा काश्त बिना किसी दखलन्दाजी के बिना रोक टोक के शान्तिपूर्वक चल रहा है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से लगाय 3 का 11/24 हिस्सा, वादीगण संख्या 4 का 1/24 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगाय 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का आता है तथा इसी हिस्से के अनुरूप मौके पर

पेज नम्बर 3 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

काबिज है। नदीया गत 30 वर्षो से लापता है जिससे सम्पूर्ण आराजियात के उनके 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम की खातेदारी घोषित किया जाना न्याय संगत है।

वादीगण नदीया की खातेदारी में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के विधिक रूप से अधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार भी वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को नदीया की उक्त खातेदारी हिस्से में विधिक रूप से अधिकार होते है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जो कि नदीया का 1/3 हिस्से की भूमि को अकेले हडपना चाहते है। इसके लिए वादीगण को जमीन छोडने की धमकिया देते है। जिससे नदीया के 1/3 हिस्से की आराजी में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी का 1/6 वां हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम की घोषित करावे एवम् वादीगण को बतौर खातेदार राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज किया जाना न्याय संगत है। जिससे यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के हस्ब धारा 88, 89 राज. काश्त. अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा का पेश है।

यह है कि विवादग्रस्त आराजी वादीगण एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की सयुक्त खातेदारी की अधिपत्य की है। जिसमें वादीगण संख्या 1 से लगाय 3 का 11/24 वा हिस्सा तथा वादीगण संख्या 4 का 1/24 वां हिस्सा विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स बाउण्डस बंटवाडा किया हुआ नही है। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाकर अपनी खातेदारी के हिस्सो का अलग बंट करवाना चाहते है। अतः यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर रहे है।

अतः मौजा ग्राम गुडा गोपीनाथ, तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 1.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.4700 हैक्टर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.5700 हैक्टर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म तमाम बारानी दोयम, कुल खसरा नम्बरान–4 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर लगान रूपये–15.10 में नदीया के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण आराजी में 1/6 वां हिस्सा वादीगण की खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करावे एवम् उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का वादीगण एवम् प्रतिवादीगण 1 से 4 के मध्य कानूनन बाई मिट्स बाण्डस के बंटवाडा कराया जाकर हिस्सा अलग कर खाता अलग कायम किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे प्रतिवादीगण को जारिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से वकील हकमचन्द सोनी ने वकालत नामा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। तथा वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार अवसर देने के बावजूद शहादत पेश नही करने पर शहादत का अवसर भी बन्द किया गया।

पेज नम्बर 4 पर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद के अनुसार स्व. राजाजी के पुत्र नदीया गत 30 वर्षो से लापता है। जिसका कोई अता–पता नही है। एवम् काफी लम्बे समय से अर्थात गत 30 वर्षो से नदीया का दुनियॉ में अता–पता नही होने से कानूनन सिविल डेथ मानी जाती है एवम् उनकी सम्पति में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को हक अधिकार निहित हो जाते है। जिससे वादीगण उनके नजदीकी रिश्तेदार होने के हक अधिकार से उक्त वादग्रस्त आराजी में नदीया पुत्र राजाजी का आने वाला 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा चाहा गया है। परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा नदीया के लापता होने के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा जारी आदेश या दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह माना जा सके कि नदीया गत 30 वर्षो से लापता होने से सिविल डेथ घोषित कर दिया गया है।

अतः वादीगण द्वारा नदीया पुत्र राजाजी के खातेदारी भूमि में अपना हक हिस्सा साबित नही कर पाने वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतएव

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् मेन्टेनेबल नही होने खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर,
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
1. चौथी पुत्री स्व घीसाराम पत्नी मांगीलाल जाति–मीणा आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी हाल निवासी–जोडकिया कोटडी तहसील–मारवाड जंक्शन जिला–पाली राज. 2. पोनी पुत्री स्व. घीसाराम पत्नी भानाराम जाति–मीणा आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी हाल–सारण, तहसील–मारवाड जंक्शन जिला–पाली राज0 3. छगनी पुत्री स्व घीसाराम पत्नी पुसाराम जाति–मीणा आयु–वयस्क निवासी–सांसरी हाल–धनला तहसील–मारवाड जक्शन जिला–पाली राज0 4. नाजु पुत्री घीसाराम आयु–वयस्क, निवासी–सांसरी जाति–मीणा, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज0	1. पदाराम पुत्र स्व वागीया आयु–वयस्क 2. स्व भॅवरराम पुत्र स्व वागीया के वारिसान– 2/1 लेरकी पत्नी स्व भॅवराराम आयु–वयस्क 2/2 रेखा पुत्री स्व भॅवराराम आयु–वयस्क 2/3 चन्दूडी पुत्री स्व भॅवराराम आयु–वयस्क 3. वेनाराम पुत्र स्व वागीया आयु–वयस्क 4. लुंगो पत्नी स्व वागीया आयु–वयस्क जातिगण–मीणा निवासीगण–सांसरी, तहसील–देसूरी जिला–पाली राज. 5. भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

दावा बाबत 88, 89, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नम्बर :– 130/2011

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिस[illegible] रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री भरत कुमार मुदई हु[illegible] आदि मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जा[illegible] द्वारा वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहत् साबित [illegible]रने में असफल रहे अतः वादीगण का वाद मेन्टेनेबल नही होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **23** माह **मार्च** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर

देसूरी

(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested